

फा.सं.15(6)2020/एफएलआरएस/एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(विनियामक अनुपालन प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 27 मार्च, 2020

विषय: अपवादिक स्वरूप की परिस्थितियों में ऑफ लाइन लाइसेंस / पंजीकरण जारी करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया के बारे में एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत निर्देशों के संबंध में

वर्ष 2012 से एफएसएसएआई में लाइसेंस और पंजीकरण जारी करने के लिए एक अखिल भारतीय ऑन लाइन प्रणाली है। सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को ऑन लाइन प्रणाली के माध्यम से ही लाइसेंस/पंजीकरण जारी किए जा रहे हैं। इससे पूरे देश में न केवल ऑन लाइन लाइसेंस/पंजीकरण जारी करने में एकरूपता का सुनिश्चय किया गया बल्कि केन्द्रीय स्तर खाद्य कारोबार संबंधी आंकड़ों की व्यवस्था करने में भी मदद मिलती है।

2. हाल ही में, इंटरनेट शटडाउन की परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं, जब एफएसएसएआई की ऑन लाइन खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) तक पहुंच बनाने में पूरी तरह से विफलता ही हाथ लगी है।

3. विगत के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, इंटरनेट सेवाओं का पूरी तरह से लॉकडाउन होना, प्राकृतिक आपदाओं, ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान सामने आयी अप्रत्याशित तकनीकी कठिनाइयों जैसी स्थितियों के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। संलग्न एसओपी ऑफ लाइन लाइसेंस/पंजीकरण जारी करने अथवा उन्हें अपने खाद्य कारोबार को जारी रखने जिन्हें क्षेत्र में ऑन लाइन लाइसेंसिंग प्रणाली की अनुपलब्धता / असुगता की अवधि के दौरान लाइसेंस/पंजीकरण की वैधता की तारीख समाप्त हो गई है, के लिए अनुमति देने के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों के लिए यह एक दिशा-निर्देश के रूप में भी कार्य करेगा। सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से यह अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं द्वारा एफएसएसएआई की ऑन लाइन प्रणाली तक पहुंच सुगम न होने के मामले में उक्त एसओपी का सख्ती से पालन कराएं।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16 (5) के अंतर्गत जारी किया जाता है।

(डा. शोभित जैन)

कार्यकारी निदेशक (अनुपालन कार्यनीति)

ई-मेल : ed-office@fssai.gov.in

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
2. निदेशक, सभी क्षेत्रीय कार्यालय, एफएसएसएआई
3. सीआईटीओ, एफएसएसएआई - आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना के लिए –
 1. प्रमुख (आरसीडी)
 2. अध्यक्ष, एफएसएसएआई के निजी सचिव
 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई के निजी सचिव